भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 49
02 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि क्षेत्र कौशल परिषद

49. श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

श्री डी.के. सुरेशः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र कौशल परिषद के माध्यम से कृषि क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण देने और इसके प्रोत्साहन के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र कौशल परिषद् के माध्यम से इसकी प्राप्ति हेतु कोई, लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी निधि निर्धारित और व्यय की गई है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): भारतीय कृषि कौशल परिषद कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तत्वाधान में कार्य करने वाला एक स्वायत्त संगठन है। एएससीआई क्षमता निर्माण और कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के संगठित/असंगठित खंडों से जुड़े किसानों, ग्रामीण युवा, दिहाड़ी मजदूरों और स्वनियोजित व्यक्तियों के कौशल के उन्नयन का कार्य करता है।

हालांकि, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएंडएफडब्ल्यू) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और एएससीआई के साथ समन्वय में देशभर के राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन कर रही है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने एएससीआई के माध्यम से कृषि में कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को शुरू किया है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुपालन में एसएससीई द्वारा विकसित कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में योग्यता पैक (क्यूपी) पर कौशल प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एएससीआई के माध्यम से कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्धारित नहीं किया है। हालांकि कृषि और संबंध क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा चिन्हित प्रशिक्षण संस्थानों को कौशल लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। इन प्रशिक्षण संस्थानों को एमएसडीई द्वारा अधिसूचित सामान्य लागत मानदंडों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए धनराशि जारी की जाती है।

(घ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा एमएसडीई द्वारा संचालित योजनाओं और उनसे लाभांवित व्यक्ति का विवरण निम्नानुसार है:

योजना	**लाभार्थी (संख्या)**
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (एमओएएंडएफडब्ल्यू)	37200
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (एमएसडीई)	965546
कुल	**1002746**

कौशल प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण **अनुबंध। और ॥** पर दिए गए हैं।

अनुबंध-I

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण (200 घंटे) की राज्य-वार प्रगति

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षित उम्मीदवार (संख्या)				कुल
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	38	39	77
2	आंध्र प्रदेश	117	159	691	472	1439
3	अरुणाचल प्रदेश	32	0	80	344	456
4	असम	57	57	336	617	1067
5	बिहार	179	40	1022	1330	2571
6	छत्तीसगढ़	190	0	589	831	1610
7	दिल्ली	37	0	40	40	117
8	गोवा	0	0	40	40	80
9	गुजरात	192	21	599	628	1440
10	हरियाणा	197	40	318	380	935
11	हिमाचल प्रदेश	111	16	380	480	987
12	जम्मू और कश्मीर	70	62	564	436	1132
13	झारखंड	146	0	648	620	1414
14	कर्नाटक	72	38	767	711	1588
15	केरल	75	20	389	345	829
16	लद्दाख	0	0	0	96	96
17	मध्य प्रदेश	204	80	1390	1989	3663
18	महाराष्ट्र	292	78	1189	979	2538
19	मणिपुर	77	0	254	271	602
20	मेघालय	37	0	140	180	357
21	मिजोरम	79	22	110	165	376
22	नागालैंड	105	90	231	132	558
23	ओडिशा	90	0	923	875	1888
24	पंजाब	224	101	620	699	1644
25	राजस्थान	351	174	1295	1260	3080
26	सिक्किम	30	0	40	40	110
27	तमिलनाडु	185	20	520	520	1245
28	तेलंगाना	75	40	522	660	1297
29	त्रिपुरा	39	0	100	100	239
30	उत्तर प्रदेश	173	60	967	678	1878
31	उत्तराखंड	28	20	360	260	668
32	पश्चिम बंगाल	135	40	756	288	1219
	कुल	**3599**	**1178**	**15918**	**16505**	**37200**

अनुबंध-II

एमएसडीई के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण की राज्यवार प्रगति

राज्य	प्रशिक्षित उम्मीदवार (सं.)						
	2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**कुल**
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	141	0	0	0	0	0	141
आंध्र प्रदेश	4575	1610	1163	1155	4142	2129	14774
अरुणाचल प्रदेश	30	0	0	120	490	22924	23564
असम	6835	0	490	1035	19357	17471	45188
बिहार	11803	1222	6283	6413	3929	950	30600
छत्तीसगढ़	750	0	323	717	747	263	2800
दिल्ली	395	143	593	274	463	134	2002
गुजरात	4488	2596	5153	127	970	150	13484
हरियाणा	8162	148	5896	3434	5913	1124	24677
हिमाचल प्रदेश	908	300	1105	106	838	522	3779
जम्मू और कश्मीर	665	0	270	237	0	0	1172
झारखंड	1150	0	725	1399	6315	530	10119
कर्नाटक	9804	3286	11093	354	2323	1143	28003
केरल	529	827	25631	11176	2648	515	41326
मध्य प्रदेश	17953	270	4510	3349	8449	2551	37082
महाराष्ट्र	12999	650	4763	39819	304049	31661	393941
मणिपुर	120	15	68	84	920	120	1327
मेघालय	135	0	0	0	329	1326	1790
मिजोरम	312	0	0	55	202	50	619
नागालैंड	110	0	143	86	295	0	634
ओडिशा	10141	1471	4422	37436	53666	2421	109557
पुडुचेरी	750	0	0	240	60	0	1050
पंजाब	3674	0	1548	1322	2013	1051	9608
राजस्थान	12932	1380	16253	2278	4253	853	37949
तमिलनाडु	8057	780	5541	2461	2490	1061	20390
तेलंगाना	7654	484	1140	1844	1874	777	13773
त्रिपुरा	3518	0	660	352	1582	2045	8157
उत्तर प्रदेश	19928	30	4122	2034	13068	2077	41259
उत्तराखंड	616	150	782	868	3856	912	7184
पश्चिम बंगाल	11697	1666	13981	3846	6515	1892	39597
कुल	**160831**	**17028**	**116658**	**122621**	**451756**	**96652**	**965546**

*****